ल नंबर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

अधिकरण 2/294/23

तारीख रजू.............................

सन्ता बनाम उदल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया।प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तरीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 966, 967, वाके ग्राम जाडला तहसील कठूमर में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चुकिं एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे मे अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिये कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत वहस करनी होगी अन्यथा एक्स मार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 05.1.2024 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 05.1.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) मौखिक आदेश दिनांक 12.12.... की पालना में पत्र ... जारी ... दिनांक 30/12/23 को पेश। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
5.1.24		

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:11 IST
Reason: SelfAttested

23/4/24 सुनवाई संबंधित पक्ष/P.O. साहब ...[illegible]... पत्रावली दिनांक 22/5/24 को पेश हो।

22/5/24 पक्षकार [illegible] हुई। आज बार एसो. ने काम [illegible] है। P.O. साहब आ.मु.कार्यालय [illegible] पत्रावली दिनांक 31/5/24 को पेश हो।

31/5/24 वकील प्रार्थिया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
जवाब प्रस्तुत किया गया एवं शेष अप्रार्थीगण बावजूद
रजि. डाक सूचना के उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। एवं साथ
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. भू. रा. अधि. पर बहस वकील
सुनी गई। सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा 212 राज. के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है
कि खातेदारी खसरा नम्बर वाके ग्राम आकड़ा
तह० कठूमर में स्थित है। उक्त खातेदारी प्रार्थी व
अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते काश्त खातेदारी
की आराजी है। जिसमें समस्त पक्षकार शामलात में
कब्जा काश्त कर रहे है। उक्त संयुक्त आराजी का तकासमा नहीं
हुआ। अप्रार्थीगण से आपसी तकासमा करने को
कहा तो साफ इन्कार कर दिया। अप्रार्थी जबरदस्त
व मगरडालू किस्म के व्यक्ति है। जबकि सायल
गरीब वृद्ध महिला है, एवं शामलात में बनी
की गई हद में शामलात ख. 11 से मिल कर ठीक
लोगों को रहने पर पुन: मिल जायेगे जिससे ठीक ढंग से
बाजी कटेगी [illegible]
जिससे मामला को [illegible] हो जायेगी
जिसकी [illegible] होगी
पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र के साथ शामलात
को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी
संख्या 2 से 11 बावजूद तामील सूचना के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थित नहीं आये उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी [illegible] -1 हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी में सायलो को काश्तकारी की कोई उम्मीद नहीं बल्कि गैरखातेदार उक्त आराजी करीब 100 साल पूर्व गैरसायलान के [illegible] के पिता दादा के नाम से ही धारू वरासत से आया है सायलान द्वारा झूठा दावा पेश किया गया सायलान को गैरसायल द्वारा कोई धमकी नहीं दी गई सायलान द्वारा गैरसायलान को गलत एवं परेशान करने की नियत से परेशान किया गया गैरसायलान का मुकदमा / प्रा० पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे। हमने पत्रावली में उपलब्ध प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया प्रार्थीगण की बहस सुनी व द्वारा पेश [illegible] किया गया जवाब का अवलोकन किया प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ [illegible] जमाबंदी पेश की जिसका अवलोकन किया गया। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खातेदारी में बाधा पैदा की या विवादित आराजी पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की तो अपार हानि व असुविधा सायलान को होना संभव है। अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने के बाद किसी प्रकार या तरह की [illegible] अथवा असुविधा खेती [illegible] हो [illegible] ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल [illegible] में प्रथम दृष्टया साबित हो जाता प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] साबित होने के कारण स्वीकार योग्य पाया जाता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] स्वीकार किया जाकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि पत्रावली पर रहे की जारी रहे आदेश दिनांक 12/12/23 को द्वारा फैसला इनकार्ड किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से बरी होकर मुकम्मल के बाद - अर्जिन रिकार्ड 3/5/24 ADJ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:11 IST
Reason: SelfAttested